न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष : एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4047–दो/ 2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–10–2014 – पारित व्दारा – आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण 6/2014–15 पुनरावलोकन

1– लईक खॉ पुत्र अहमद खॉ
2– उमर खॉ पुत्र लईक खॉ
निवासी ग्राम रतनगढ़ तहसील
लटेरी जिला विदिशा मध्यप्रदेश
3– श्रीमती हाजरा बी पत्नि अब्दुल सलाम
निवासी मुरवास
4– प्रकाश बाबू पुत्र धीरज सिंह कुशवाह
निवासी बलरामपुर तहसील लटेरी
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– सिगार बाई पत्नि प्रेमसिंह
ग्राम बामनखेड़ी तहसील लटेरी
2– जमनाबाई पत्नि रघुवीरसिंह बघेल
ग्राम सुनखेर तहसील लटेरी
3– ललिताबाई पत्नि लक्ष्मण सिंह बघेल
ग्राम महुआखेड़ा तहसील सिरोंज
4– स्व0जुगराज सिंह पुत्र कल्याण सिंह
वरिस
अ– संजीसिंह ब– केशव सिंह
स– उर्मिलाबाई पुत्र/पुत्री स्व.जुगराजसिंह
द– श्रीमती गीताबाई पत्नि स्व.जुगराजसिंह
5– सरदार सिंह पुत्र स्व.कल्याणसिंह
6– श्रीमती सरजूबाई पत्नि स्व.कल्याणसिंह
निवासीगण ग्राम रूसल्ली साहू
तहसील लटेरी जिला विदिशा
7– सीताराम पुत्र रघुवीर सिंह
8– शैलेन्द्र पुत्र रघुवीरसिंह
9– सुश्री सुधाबाई पुत्री रघुवीर सिंह
ग्राम महुआखेड़ा तहसील सिरोंज कृ0पृ030---

10- रघुवीर सिंह पुत्र राजधरसिंह
ग्राम महुआखेड़ा तहसील सिरोंज
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदकगण व्दारा अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(अनावेदक 1,2,3 व्दारा अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)
(शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18- जनवरी,2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 6/2014-15 पुनरावलोकन में पारित आदेश दि. 27-10-2014 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम रूसल्ली खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 314, 388, 405, 414, 444, 528, 559, 560, 561, 563, 568, 578, 616, 617 कुल किता 15 कुल रकबा 25.344 हैक्टर खसरा वर्ष 1972-73 के अनुसार कल्याण सिंह के नाम थी। कल्याण सिंह की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर आदेश दिनांक 24.03.1985 से मृतक के वारिसान का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी के समक्ष अपील कमांक 68/2010-11 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30.09.2011 से नामान्तरण आदेश दिनांक 24.3.85 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 122/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-1-14 से प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य न होना मानकर

निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त,भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण कमांक 6/2014-15 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 27-10-2014 से निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक 1 से 3 के अभिभाषक के तर्क सुने गये । तहसीलदार लटेरी के प्रकरण के अवलोकन के साथ ही अनावेदक कमांक 1 से 3 व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 4 लगायत 10 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 122/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी 2014 के अवलोकन पर पाया गया कि नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर आदेश दिनांक 24.03.1985 से मृतक के वारिसान का नामान्तरण होने के वाद उन्होंने निम्नानुसार भूमि का विकय आवेदकगण के हित में किया है :-

<u>विक्रेता का नाम</u>	<u>केता का नाम</u>	<u>विकय दिनांक</u>	<u>सर्वेक.</u>	<u>रकबा है.</u>
सरजूवाई	लईक खॉ	12.1.06	561/1	1.530
		,,	561/2	1.084
जुगराजसिंह	,,	21.6.07	561/1	1.523
,,	उमर खॉ	,,	563/1	1.759
,,	श्रीमती हाजरा वी	25.5.05	563/3	1.231
	प्रकाश बाबू	6.4.09	557	0.557
		,,	558	0.101
		,,	559	0.126
		,,	560	0.557

उक्तानुसार दर्शाए गए केतागण भूमि कय करने के वाद एंव

नामान्तरण होने पर रिकार्डेड भूमिस्वामी हुये। अनुविभागीय अधिकारी लटेरी व्दारा प्र.क.68/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-11 के अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी लटेरी के समक्ष अपीलकर्ताओं ने वर्ष 2010 में अपील प्रस्तुत की है जिसमें क्रेतागण अर्थात रिकार्डेड भूमिस्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया है जिसके कारण मूल पक्षकारों का असंयोजन होने से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील ग्राह्य-योग्य एंव प्रचलन- योग्य नहीं थी , फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने अद्यतन अभिलेख की अनदेखी करते हुये त्रृटिपूर्ण आदेश पारित किया है और इस बिन्दु पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने भी गौर न करके मात्र रिमान्ड आर्डर के विरूद्ध अपील अग्राह्य होना मानकर अपील निरस्त करने में भूल की है। यदि पक्षकार कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ है तब अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण व्दारा भूमि धारण किये रहने के वाद भी उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने के कारण आयुक्त का दायित्व था कि यदि वह अपील को प्रचलन योग्य नहीं मान रहे थे तब न्यायदान की दृष्टि से अपील को स्वस्तर से निगरानी में बदलकर सुनवाई कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न करके न्यायिक प्रकिया से हटकर निर्णय लेने में भूल की है।

5/ आयुक्त , भोपाल संभाग के आदेश दिनांक 6-1-14 के पद-5 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने निर्णीत कर अपील इस आधार पर भी निरस्त की है कि अपील प्रस्तुत करने हेतु आवेदकगण ने अनुमति आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है एंव यह नहीं बताया कि क्रय की गई भूमि पर उनका नामान्तरण हो गया है। जब आयुक्त यह मानते हैं कि आवेदकगण ने वादग्रस्त भूमि

पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है और भूमि क्रय-विक्रय होने के वाद प्रथम अपील हुई । स्पष्ट है कि विक्रेताओं के समस्त स्वत्व विक्रीत भूमि पर से विक्रय दिनांक को समाप्त हो चुके हैं तब वादग्रस्त भूमि से आवेदकगण के हित जुड़ जाने के कारण वह अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से वह प्रत्यक्ष दुखी पक्षकार हैं जिन्हें अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। रतनाम रमन बनाम डॉ. श्रीकृष्ण मेशीकर 1989 म0प्र0जुडी.रिपो0 481 डी0बी0हाईकोर्ट तथा चंदूलाल बनाम शामदास पटैल 1970 ज0लॉ0जन0 शा0नो0 35 के न्यायिक दृष्टांत हैं कि कोई दुखी पक्षकार ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके विरूद्ध निर्णय सुनाया गया हो और उसके व्दारा वह किसी ऐसी वस्तु से गलत रूप में बंचित किया गया हो जिसका दावा करने का उसे अधिकार हो। स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एकपक्षीय है एंव उनके व्दारा क्रय की गई भूमि पर हुये नामान्तरण को शून्य करने की प्रकृति का रहा है जिसके कारण ऐसे आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन-योग्य होने के वाद भी ग्राह्यता के स्तर पर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा अपील अग्राह्य मानकर निरस्त करने में भूल की गई है।

6/ प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि पर मृतक के पुत्रगण एंव पत्नि का नामान्तरण आदेश दिनांक 24.03.1985 से हुआ है जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक एक से तीन अर्थात सिगारवाई, जमनावाई, ललितावाई ने पिता की भूमि बताते हुये वर्ष 2010 में अर्थात 25 वर्ष वाद स्वयं का स्वत्व होना बताते हुये अपील की है। विचार योग्य है कि क्या इन अनावदेक को पिता के नाम पर कृषि भूमि होने की

जानकारी नहीं थी तथा पिता के वर्ष 1985 अथवा इसके पूर्व मरने के वाद स्वयं के नामान्तरण की पहल क्यों नहीं की गई एंव 25 वर्ष वाद अपील प्रस्तुत करने के क्या कारण रहे हैं स्पष्ट नहीं है। तात्पर्य यह है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 24-3-85 को 25 वर्ष वाद निरस्त करना अथवा री-ओपिन करना अवधि-वाधित है क्योंकि 25 वर्ष वाद अपील करना वाद की शोच मानी जावेगी। भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा -5 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। परन्तु अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी ने प्रकरण कमांक 68/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-11 में तथा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 122/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-1-14 में उक्त तथ्यों की अनदेखी की है और जब आवेदकगण व्दारा आयुक्त के समक्ष साआधार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया, आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 6/2014-15 पुनरावलोकन में पारित आदेश दि. 27-10-2014 से पुनरावलोकन आवेदन निरस्त करने में भी भूल की गई है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ जहां तक अनावेदक कमांक 1 से 3 के अभिभाषक व्दारा दिये गया तर्क कि, वादग्रस्त भूमि अनावेदक कमांक एक से तीन के पिता की भूमि होने से उनका जन्मजात स्वत्व है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश सही है, यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि स्वत्व का मामला सुनने एंव निर्णय देने की अधिकारिता के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। यदि

अनावेदक कमांक एक लगायत तीन वादग्रस्त भूमि में स्वत्व पाना चाहती हैं वह सक्षम न्यायालय में स्वत्व संबंधी वाद लाने हेतु स्वतंत्र हैं।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 122/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-1-14 तथा प्रकरण कमांक 6/2014-15 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 27-10-2014 एंव अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी द्वारा प्रकरण कमांक 68/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 5 पर आदेश दिनांक 24.03.1985 से किया गया नामान्तरण यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर